महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

पत्रांक : एम.जे.पी.रू.वि./कु.स.का./2023/47 दिनांक : 02.09.2023

सेवा में,

समस्त प्राचार्य/प्राचार्या/निदेशक/प्रबन्धक,
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय
एम.जे.पी. रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

विषयः-नार्को को आर्डिनेशन मैकेनिज्म सेंटर के क्रियान्वयन हेतु मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न राज्य स्तरीय समिति की वर्ष 2023 की तृतीय बैठक दिनांक 28.07.2023 के कार्यवृत्त दिनांक 14.08.2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया संलग्न उपर्युक्त विषयक संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या-2369/सत्तर-3-2023 दिनांक 29 अगस्त, 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके माध्यम से कार्यवृत्त संख्या-डीजी-सात-एन्कार्ड बैठक (राज्य स्त0) 2023, दिनांक 14.08.2023 में दिये गये निम्न निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही करने एवं कृत कार्यवाही की सूचना उपलब्ध कराये जाने के निर्देश प्रदान किये गये हैं।

"दिनांक 25 सितम्बर से 02 अक्टूबर के मध्य समस्त स्कूल/कालेजों में नोडल विभाग समाज कल्याण द्वारा अन्य सभी विभागों से समन्वय स्थापित कर जागरूकता पखवाड़ा कार्यक्रमों का आयोजन किया जाये।"

अतः उपरोक्तानुसार शासन के पत्र में दिये गये निर्देशों के क्रम में आवश्यक कार्यवाही किये जाने का कष्ट करें।

2. उक्त आयोजित कार्यक्रमों/कार्यवाही की सूचना कुलसचिव कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे संकलित सूचना शासन को उपलब्ध करायी जा सके।

संलग्नकः- यथोक्त।

कुलसचिव

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. वित्त अधिकारी।
2. परीक्षा नियन्त्रक।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली-मुरादाबाद परिक्षेत्र, बरेली।
4. समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना।
5. मीडिया प्रभारी।
6. कार्यक्रम अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना, विश्वविद्यालय परिसर।
7. उप कुलसचिव/सहायक कुलसचिव (प्रशासन)।
8. निजी सचिव-कुलपति।
9. प्रभारी, विश्वविद्यालय वेबसाइट ।
10. वैयक्तिक सहायक, कुलसचिव।

कुलसचिव

AR-04
30.8.23

महत्वपूर्ण/समयबद्ध

संख्या–2369/सत्तर–3–2023

प्रेषक,

प्रेम कुमार पाण्डेय,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. **निदेशक,**
उच्च शिक्षा उ0प्र0
प्रयागराज।

2. **कुलसचिव,**
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

उच्च शिक्षा अनुभाग–3 **लखनऊ : दिनांक 29 अगस्त, 2023**

विषय :नार्को आर्डिनेशन मैकेनिज्म सेंटर के कियान्वयन हेतु मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न राज्य स्तरीय समिति की वर्ष 2023 की तृतीय बैठक दिनांक 28.07.2023 के कार्यवृत्त दिनांक 14.08.2023 के अनुपालन के सम्बंध में।

845

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पुलिस उपमहानिरीक्षक ए0एन0टी0एफ0 उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या–DG-VII-ANTF (NCORD MEETING)/2022/08(2), दिनांक 14.08.2023 (छायाप्रति संलग्न) एवं अनु सचिव, गृह (पुलिस) अनुभाग–9, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–3691/छ:पु0–09–23–31(133)/2019, दिनांक 21.08.2023 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से नार्को कार्डिनेशन मैकेनिज्म सेन्टर (NCORD) के कियान्वयन हेतु उ0प्र0 शासन में सम्पन्न राज्य स्तरीय समिति की तृतीय बैठक दिनांक 28.07.2023 के कार्यवृत्त संख्या–डीजी–सात–एन्कार्ड बैठक(राज्य स्त0)2023, दिनांक 14.08.2023 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने एवं उसकी अनुपालन आख्या कार्यालय के ई–मेल आई0डी0–ig-antf.lu@up.gov.in एवं हार्ड कॉपी में उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्यवृत्त संख्या–डीजी–सात–एन्कार्ड बैठक(राज्य स्त0)2023, दिनांक 14.08.2023 में दिये गये निर्देश के अनुपालन हेतु आवश्यक कार्यवाही करने एवं कृत कार्यवाही की सूचना दिनांक 04.09.2023 तक उच्च शिक्षा अनुभाग–3 को साफ्ट कॉपी एवं हार्ड कॉपी में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(प्रेम कुमार पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

श्री कमल
30.8.23

AR(Affi)

कुलसचिव

Recd Today
2/9/23

2. अतः अनुरोध है कि उक्त बैठक से सम्बन्धित कार्यवृत्त का अनुपालन कराते हुए अनुपालन आख्या ANTF की ई-मेल आईडी – ig-antf.lu@up.gov.in पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(अब्दुल हमीद)
पुलिस उपमहानिरीक्षक,
ए0एन0टी0एफ0; उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:-

1. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश को सादर सूचनार्थ।
2. विशेष पुलिस महानिदेशक, कानून-व्यवस्था/अपराध, उत्तर प्रदेश को सादर सूचनार्थ।
3. प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश, शासन को सादर सूचनार्थ।
4. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक / पुलिस आयुक्त, उत्तर प्रदेश को सादर सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. पुलिस महानिरीक्षक, कानून-व्यवस्था/अपराध, उत्तर प्रदेश को सादर सूचनार्थ।

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक, एन्टी नारकोटिक्स टास्क फोर्स

तृतीय तल (टावर 01), पुलिस मुख्यालय भवन, शहीद पथ, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ-226002

पत्रसंख्या:DG-VII-ANTF (NCORD MEETING)/2022/08(2) दिनांक- अगस्त, 14 2023

मुख्य सचिव कार्यालय में प्राप्त दिनांक 18/8/23

संख्या 1205/VIPPSHED/2023

सेवा में,

1- प्रमुख सचिव,गृह विभाग, उत्तर प्रदेश।

2- अपर मुख्य सचिव, आबकारी विभाग, उत्तर प्रदेश।

3- प्रमुख सचिव,स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश।

4- प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश।

5- अपर मुख्य सचिव, वन विभाग, उत्तर प्रदेश।

6- अपर मुख्य सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश।

7- प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश।

8- प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा/ बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश।

9- आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

10- ज्यूरिसडिक्शनल एडीजी, डीआरआई, उत्तर प्रदेश।

11- उपनारकोटिक्स आयुक्त, सीबीएन, उ0प्र0,लखनऊ।

12- डीआईजी आरपीएफ, उ0प्र0, लखनऊ

13- चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, भारतीय डाक, उत्तर प्रदेश।

14- स्टेट ड्रग कंट्रोलर/ फूड सेफ्टी एण्ड ड्रग एडमिनिशट्रेशन,उत्तर प्रदेश।

15- निदेशक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उत्तर प्रदेश।

16- ज्यूरिसडिक्शनल आईजी ऑफ बार्डर गार्डिंग एजेन्सी/ एसएसबी, लखनऊ।

17- ज्यूरिसडिक्शनल डीडीजी, एनसीबी, उत्तर प्रदेश।

18- क्षेत्रीय निदेशक, एनसीबी, उ0प्र0, लखनऊ।

19- अपर निदेशक, आसूचना ब्यूरो(आईबी) उत्तर प्रदेश।

20- संयुक्त निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

वि0स0(के) 18/08/23 (एन0 पी0 अग्रवाल) प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन

विषयः दिनांक-28.07.2023 को आयोजित NCORD की राज्य स्तरीय समिति की बैठक की कार्यवृत्त दिनांक-14.08.2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया राज्य स्तरीय समिति" की वर्ष 2023 की तृतीय बैठक मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश, शासन की अध्यक्षता में दिनांक- 28.07.2023 को सम्पन्न हुई थी , जिसका कार्यवृत्त दिनांक-14.08.2023 इस पत्र के साथ संलग्न है।

4234/VS(U)/23 JS

HE-3 21.08.23

21-8-23
(गिरिजेश कुमार त्यागी)
विशेष सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

22.8.2023

P.T.O.

एएनटीएफ व जिला पुलिस द्वारा नशीले पदार्थो के दुरुपयोग व अवैध तस्करी के खिलाफ 26.06.2023 को अन्तर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस के अवसर पर एएनटीएफ व जनपद के समस्त पुलिस कार्यालयों पर शपथ दिलाई गई। सिनेमा घरों में नशा मुक्ति सन्देश प्रसारित कराया गया तथा ट्रैफिक कन्ट्रोल रूम द्वारा मादक पदार्थो के विरुद्ध प्रचार–प्रसार कराया गया। एएनटीएफ, एनसीबी, आबकारी विभाग व डि–एडिक्शन व पुनर्वास केन्द्रों के समन्वय से मादक पदार्थों के विरुद्ध अभियान में शपथ, व्यायाम, खेल–कूद व मोटर साइकिल रैली का आयोजन किया गया। एफ–एम रेडियो चैनलों के द्वारा भी मादक पदार्थो के विरुद्ध प्रचार–प्रसार कराया गया।

(कार्यवाही–समाज कल्याण विभाग / NCB/ANTF, उ0प्र0 व सम्बन्धित विभाग)

(iii) एनडीपीएस अधिनियम के सर्वाधिक लम्बित मुकदमों वाले शीर्ष 10 जिलों में विशेष सत्र न्यायालय के गठन का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जा चुका है। मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि न्याय विभाग द्वारा इन जिलों में एनडीपीएस के मुकदमों की सुनवायी हेतु विशेष सत्र न्यायालय मनोनीत कर दिये जायें।

(कार्यवाही– गृहविभाग / न्याय विभाग)

(iv) एनडीपीएस अधिनियम के लम्बित वादों की स्थिति से प्रत्येक माह मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय को अवगत कराया जा रहा है। माह मई में एनडीपीएस अधिनियम के कुल–59575 वाद लम्बित हैं। अध्यक्ष महोदय द्वारा एडीपीएस अधिनियम के तहत लम्बित वादों की जनपदवार सूची अवरोही क्रम(Descending order) में अगली बैठक में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

(v) मादक पदार्थो के कारोबार में लिप्त अपराधियों पर PIT NDPS एवं सम्पत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही हेतु समस्त पुलिस आयुक्त / जिलाधिकारी / जनपदीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक को डीजीपी मुख्यालय स्तर से निर्देशित किया गया है। एन0सी0बी0 द्वारा 18 अभियोगों में PIT NDPS एवं 09 अभियोगों में वित्तीय जांच की कार्यवाही की गयी है।

(कार्यवाही– गृहविभाग / ANTF)

(vi) अन्तर्राज्यीय कोआर्डिनेशन को और अधिक बेहतर बनाये जाने हेतु समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक / पुलिस आयुक्तों को डीजीपी मुख्यालय स्तर से निर्देश जारी किये गये हैं।

(vii) समाज कल्याण विभाग द्वारा वाराणसी में "अपना घर" संस्था का भ्रमण कर प्रथम चरण में मण्डल स्तर पर इस जैसी संस्था की स्थापना के निर्देश के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, समाज कल्याण द्वारा बताया गया कि सचिव, समाज कल्याण द्वारा वाराणसी स्थित "अपना घर" संस्था का भ्रमण किया गया। यह संस्था जनकल्याण के तहत बहुत अच्छा कार्य करती है तथा गरीब, वंचित, आश्रयहीन लोगों को आश्रयस्थल उपलब्ध कराती है, परन्तु नशामुक्ति के सम्बन्ध में कोई विशेष कार्यक्रम नही चलाती है। जनपदों में नशा–मुक्ति पुनर्वास केन्द्र प्राईवेट एनजीओ द्वारा चलाये जाते हैं। मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि यह देख लिया जाय कि इन नशा–मुक्ति पुनर्वास केन्द्रों को और अधिक बेहतर बनाने हेतु "अपना घर" संस्था से क्या सीख ले सकते हैं। तद्नुसार सम्बन्धित एनजीओ को बेहतर मार्गदर्शन प्रदान किया जा सकता है।

(viii) जन जागरूकता हेतु समाज कल्याण विभाग द्वारा 14 जनपदों में सार्वजनिक स्थलों पर होर्डिंग्स की स्थापना करायी गयी है। अन्य जनपदों में अस्पतालों, स्कूल / कालेज, अन्य शिक्षण संस्थानों में होर्डिंग्स की स्थापना करायी जायेगी।

(ix) नशा–मुक्ति के सम्बन्ध में धर्माचारियों से प्रचार–प्रसार कराने एवं नशा मुक्त हो चुके लोगों का आडियो–वीडियो आमजन को दिखाने के निर्देशों के अनुपालन में समस्त क्षेत्रीय मद्य–निषेध एवं समाजोत्थान अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि अलग–अलग धर्मो के आचार्यो से सम्पर्क कर प्रचार–प्रसार कराया जाय तथा नशा मुक्त हो चुके लोगों का आडियो–वीडियो आमजन को दिखाकर जन जागरूकता बढ़ायी जाय।

(कार्यवाही– समाज कल्याण विभाग)

नार्को को-आर्डिनेशन सेन्टर(NCORD) के क्रियान्वयन हेतु मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति की वर्ष 2023 की तृतीय बैठक दिनांक 28.07.2023 का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया:

1. श्री पार्थ सारथीसेन शर्मा, प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0 शासन।
2. डॉ0 हरिओम, प्रमुख सचिव, समाज कल्याण, उ0प्र0 शासन
3. श्री राजशेखर, सचिव, कृषि, उ0प्र0 शासन।
4. श्री आशीष तिवारी, सचिव, पर्यावरण वन एवं जलवायु, उ0प्र0 शासन।
5. डॉ0 बी0डी0 पॉल्सन, सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. श्री कृष्ण कुमार गुप्ता, विशेष सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
7. श्री सेंथिल पांडियन सी., आबकारी आयुक्त, उ0प्र0।
8. श्री जनार्दन सिंह, ज्वाइंट डायरेक्टर आई0बी0, उ0प्र0, लखनऊ।
9. श्री रतन संजय, पुलिस महानिरीक्षक, एस0एस0बी0, लखनऊ।
10. डॉ0 संजीव गुप्ता, पुलिस महानिरीक्षक, कानून एवं व्यवस्था, लखनऊ।
11. श्री अब्दुल हमीद, पुलिस उपमहानिरीक्षक, एण्टी नारकोटिक्स टास्क फोर्स, उ0प्र0।
12. श्री दिनेश सिंह, एडीजी, डी0आर0आई0, उ0प्र0।
13. श्री सचिन कुमार, असिसटेन्ट डायरेक्टर, प्रवर्तन निदेशालय(ईडी), उ0प्र0, लखनऊ।
14. श्री हरीश कुमार, अधीक्षक, एन0सी0बी0, लखनऊ।
15. श्री आशुतोष कुमार पाण्डेय, अधीक्षक(आपरेशन्स), एन0सी0बी0, लखनऊ।
16. श्री एस0के0 सिंह, अधीक्षक, सी0बी0एन0, लखनऊ।
17. श्री के0एम0 यादव, उपनिदेशक, एफ0एस0एल0, लखनऊ।
18. श्री एन0एम0 यादव, असिस्टेन्ट सिक्योरिटी कमिश्नर, आर0पी0एफ0, लखनऊ।
19. श्री एस0एम0 गुप्ता, डिप्टी कमिश्नर(ड्रग), एफएसडीए उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उपरोक्त के अतिरिक्त सभी जोनल अपर पुलिस महानिदेशक एवं प्रदेश के सभी कमिश्नरेट के पुलिस आयुक्त द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उक्त बैठक में प्रतिभाग किया गया।

राज्य स्तरीय समिति के सदस्य संयोजक पुलिस उपमहानिरीक्षक, एण्टी नारकोटिक्स टास्क फोर्स, उ0प्र0, लखनऊ श्री अब्दुल हमीद द्वारा सर्वप्रथम मुख्य सचिव महोदय को धन्यवाद ज्ञापित कर उपस्थित सभी उच्चाधिकारियों का स्वागत करते हुए बैठक के एजेण्डा बिन्दु प्रस्तुत किए गए जिन पर एजेण्डा बिन्दुवार चर्चा का विवरण निम्नवत् है-

एजेण्डा बिन्दु-01-दिनांक 16.05.2023 को मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आयोजित राज्य स्तरीय समिति की बैठक के कार्यवृत्त का अनुपालन-:

(i) सभी जनपदों में NCORD का गठन व नियमित रूप से बैठकें आयोजित किये जाने के निर्देश के क्रम में प्रदेश के सभी जनपदों में NCORD कमेटी के गठन की कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है। वर्ष 2023 में अब तक 183 बैठकों का आयोजन किया गया है, जो काफी कम है। मुख्य सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि जिला स्तरीय NCORD समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाय तथा इसकी सूचना NCORD पोर्टल पर फीड किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(कार्यवाही- **ANTF**/जनपदीय पुलिस अधीक्षक)

(ii) विभिन्न विभागों के आपसी समन्वय से नशा मुक्ति जागरूकता अभियान व इन्फोर्समेण्ट दोनों साथ-साथ चलाये जाने के निर्देश दिये गये थे। वर्तमान में कुल-22 नशा निर्व्यसन केन्द्र क्रियाशील है। इलेक्ट्रानिक तथा सामाजिक गतिविधियों द्वारा नशा मुक्ति जागरूकता अभियान एवं इन्फोर्समेण्ट दोनों का नियमित आयोजन कर कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। प्रदेश में मादक पदार्थों की बरामदगी हेतु दिनांक-19.07.2023 से 15 दिवस का अभियान चलाया जा रहा है।

क्षेत्र के अतिरिक्त कहीं अवैध खेती तो नहीं की जा रही है, इस सम्बन्ध में सी0बी0एन0 द्वारा परीक्षण कर अवगत कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही– CBN)

(ix) विधि विज्ञान प्रयोगशाला, गाजियाबाद व गोरखपुर हेतु अत्याधुनिक विशिष्ट उपकरणों का सुविचारित प्रस्ताव तैयार कर एएनटीएफ के माध्यम से एन0सी0बी0 को उपलब्ध कराया जा चुका है।

(कार्यवाही– NCB)

<u>प्रवर्तन कार्यवाही की जोनवार समीक्षा–:</u>

प्रस्तुत विवरण के अनुसार विगत वर्ष 2022 के सापेक्ष आगरा जोन, प्रयागराज जोन, लखनऊ जोन, कमिश्नरेट आगरा, तथा कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा वर्ष 2023 में मादक पदार्थों की काफी कम बरामदगी की गयी है। वाराणसी जोन, गोरखपुर जोन व कानपुर जोन द्वारा अच्छा कार्य किया गया है।

अपर पुलिस महानिदेशक, आगरा जोन द्वारा बताया गया कि कैलेण्डर वर्ष के आधार पर समीक्षा की गयी है तथा कम बरामदगी का कारण तस्करों द्वारा रूट चेंज किया जाना भी हो सकता है। मुख्य सचिव महोदय द्वारा बताया गया कि आगरा, फिरोजाबाद, अलीगढ़ जनपद मादक पदार्थो की दृष्टि से काफी संवेदनशील है। कम बरामदगी वाले जोन/कमिश्नरेट में अधिक ध्यान देकर व रणनीति बदलकर गम्भीर व सार्थक प्रयास किये जाने हेतु अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया, ताकि अगली त्रैमासिक बैठक तक अधिकाधिक बरामदगी सुनिश्चित की जा सके।

अपर पुलिस महानिदेशक, गोरखपुर द्वारा यह बिन्दु उठाया गया कि डी–एडिक्शन केन्द्र बहुत कम हैं तथा ज्यादातर एनजीओ द्वारा चलाये जा रहे हैं। इस दिशा में कोई राजकीय सुदृढ़ व्यवस्था नहीं है। नशा–मुक्ति हेतु उपचार के लिये एनजीओ द्वारा कम से कम 10 हजार रूपये का खर्चा आता है। नशे में लिप्त आर्थिक रूप से कमजोर व अशक्त व्यक्ति के लिये चिकित्सक व देखभाल का खर्च उठाना संभव नही है।

पुलिस आयुक्त गाजियाबाद द्वारा बताया गया कि गाजियाबाद में दो डी–एडिक्शन केन्द्रों पर दो व्यक्तियों की मृत्यु हो जाने के कारण डी–एडिक्शन केन्दों पर पुलिस द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करके उनको बन्द कराया गया, एनजीओ द्वारा चलाये जा रहे ऐसे अधिकांश केन्द्रों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानकों का पालन नही किया जा रहा है।

पुलिस आयुक्त वाराणसी द्वारा बताया गया कि ड्रग एडिक्शन के सम्बन्ध में सर्वे कराये जाने की आवश्यकता है ताकि प्रामाणिक डाटा उपलब्ध हो सके।

प्रमुख सचिव समाज कल्याण द्वारा बताया गया कि मद्य–निषेध विभाग के अन्तर्गत 09 जिलों में डी–एडिक्शन केन्द्र चलाये जा रहे है। उपरोक्त के सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि मद्य–निषेध विभाग द्वारा इस दिशा में स्कीम तैयार आवश्यक कार्यवाही की जाय ताकि डाटा संकलित कर सभी के साथ साझा किया जा सके। डी–एडिक्शन केन्द्रों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण के निर्धारित मानकों के अनुपालन के सम्बन्ध में राज्य मद्य–निषेध अधिकारी को निर्देशित किया गया कि वह इस सम्बन्ध में जानकारी कर अवगत कराये कि इस दिशा में क्या कार्यवाही की जा सकती है।

प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य द्वारा बताया गया कि FSDA द्वारा इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जाती है अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि 'टी0वी0 से मुक्ति' जैसे प्रयास की तरह ड्रग एडिक्शन से मुक्ति के लिये भारत सरकार से समन्वय कर एक मैकेनिज्म बनाकर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। यह भी निर्देशित किया गया की FSDA के प्रमुख सचिव को अगली बैठक में आमंत्रित किया जाये।

(कार्यवाही– ANTF/समाज कल्याण विभाग/जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस आयुक्त)

एजेण्डा बिन्दु–02– दिनांक 20.03.2023 को आयोजित राज्य स्तरीय समिति की बैठक के कार्यवृत्त का अनुपालन

(i) ASSISTANCE TO STATE के अन्तर्गत शासन द्वारा रूपये 37.08 लाख की धनराशि की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है।

(ii) NCORD की राज्य स्तरीय समिति की पूर्व बैठक दिनांक 20.03.2023 में दिये गये निर्देशानुसार ड्रग लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के मध्य समन्वय हेतु उ0प्र0 शासन की वेब साइट up.gov.in पर एक वेब लिंक/साइट/पोर्टल का गठन किये जाने हेतु दिनांक 02.06.2023 को एस0आई0ओ0, एन0आई0सी0, उ0प्र0 को आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्र प्रेषित किया गया है।

(iii) पब, बार व रेस्टोरेंट पर स्टील प्लेटेड बोर्ड लगवाने एवं नियमित निगरानी के निदेश का अनुपालन किया जा रहा है। सभी क्षेत्रीय आबकारी अधिकारियों को निरीक्षण के निर्देश दिये गये है।

(iv) दिनांक 12 से 26 जून तक जागरूकता पखवाड़ा आयोजित किये जाने के निर्देश के कम में जागरूकता पखवाडा सहभागिता व सहयोग हेतु समस्त संयुक्त आबकारी आयुक्त(जोंस), समस्त उप आबकारी आयुक्त(प्रभार), समस्त जिला आबकारी अधिकारियों को निर्देश निर्गत किये गये।

(v) प्रमुख सचिव, समाज कल्याण द्वारा बताया गया कि 12 से 26 जून के मध्य 840 ब्लाकों में जागरूकता सभायें करायी गयी है। अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि जिलाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर स्कूलों/कालेज/शिक्षण संस्थानों में जागरूकता कार्यकम कराये जायें।

(vi) दिनांक 25 सितम्बर से 02 अक्टूबर के मध्य जागरूकता कार्यकम आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में समाज कल्याण विभाग द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित अवधि में अपेक्षित प्रचार–प्रसार कार्यकम चलाये जायेगें। मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि इस अवधि में सभी स्कूल कॉलेज खुले रहते है अतः नोडल विभाग समाज कल्याण द्वारा अन्य सभी विभागों से समन्वय स्थापित कर पूर्व योजना तैयार कर व्यापक रूप से स्कूल कॉलेजों जागरूकता पखवाड़ा कार्यकमों का आयोजन अभियान के रूप में कराया जाये।

(कार्यवाही–समाज कल्याण विभाग/ NCB/ANTF, उ0प्र0 व सम्बन्धित विभाग)

(vii) एन0सी0बी0, एएनटीएफ, एसटीएफ, राज्य पुलिस द्वारा आपसी समन्वय से कृत कार्यवाही के विगत दो वर्षो के तुलनात्मक विवरण के अवलोकन से पाया गया वर्ष 2021 में 20 प्रकरणों में 50 अभियुक्तों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुये 8995.27 किलोग्राम मादक पदार्थों की बरामदगी, वर्ष 2022 में 13 प्रकरणों में 24 अभियुक्तों के विरूद्ध कुल 3113.34 किलोग्राम की बरामदगी की गयी है। वर्ष 2023 में अब तक केवल 04 प्रकरणों में 07 अभियुक्तों के विरूद्ध मात्र 12.030 किलोग्राम की बरामदगी की गयी है। स्पष्ट है कि संयुक्त कार्यवाही इस वर्ष काफी कम हुयी है। मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है कि एजेंन्सियों के मध्य आपसी समन्वय और अधिक बेहतर बनाते हुये संयुक्त आपरेशन पर नियमित रूप से ध्यान दिया जाये। एएनटीएफ द्वारा एनसीबी से बेहतर समन्वय बनाकर अधिकाधिक कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये।

(कार्यवाही–ANTF/NCB, उ0प्र0 व सम्बन्धित विभाग)

(viii) ADRIN द्वारा प्रत्येक जनपद में अफीम पोस्त फसल अनिवार्य रूप से सैटेलाइट मैपिंग, अवैध खेती व तस्करी के सम्बन्ध में सी0बी0एन0 द्वारा बताया गया कि अफीम काश्त हेतु लाइसेंस जारी किये जाते है। वैध खेती को चिन्हित करने हेतु सभी कृषकों के प्लाट का शत प्रतिशत सत्यापन की कार्यवाही की जाती है। रैन्डम तरीके से भी जांच/पैमाइश की जाती है। सी0बी0एन0 के निवारक विंग द्वारा चौकसी बरती जाती है जिससे वैध खेती से किसी प्रकार का Pilferege ना हो। ADRIN/BISAG की मदद से खेती की निगरानी व विनष्टीकरण की जांच की जाती है। मुख्य सचिव महोदय द्वारा अधीक्षक सी0बी0एन0 से जानकारी की गयी क्या सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के माध्यम से अफीम काश्त का सर्वे किया जा सकता है,. जिससे स्पष्ट हो सके कि खेती हेतु निर्धारित

माननीय गृह मंत्री, भारत सरकार एवं माननीय मुख्यमंत्री जी की वर्चुअल उपस्थिति में दिनांक-17.07.2023 को जब्त मादक पदार्थों के 4146.7535 किलोग्राम मात्रा का लाइव डिस्पोजल कराया गया। मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि विभिन्न जनपदों के मेडिकल कालेज/सीएमओ कार्यालय से सम्पर्क कर वहाँ स्थापित इंसीलेटर के माध्यम से मादक पदार्थों के डिस्पोजल/निस्तारण की कार्यवाही की जाय। खुले वातावरण में मादक पदार्थों का डिस्पोजल/निस्तारण न कराया जाय। इस सम्बन्ध में सभी सम्बन्धित को आवश्यक निर्देश निर्गत किये जांय।

(कार्यवाही- गृह विभाग/एनसीबी/समस्त रेंज आईजी/डीआईजी)

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

14/08/23
(अब्दुल हमीद)
पुलिस उपमहानिरीक्षक,
एण्टी नारकोटिक्स टास्क फोर्स,
उ0प्र0, लखनऊ।

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक, एण्टी नारकोटिक्स टास्क फोर्स,

तृतीय तल(टावर-1), पुलिस मुख्यालय भवन, शहीद पथ, लखनऊ-226002

संख्या:डीजी-सात-एन्कार्ड बैठक(राज्य स्त0)2023 दिनांक:अगस्त 14, 2023

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. प्रमुख सचिव, स्वाथ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. सचिव, पर्यावरण वन एवं जलवायु विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन।
8. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
9. प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा/बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
10. आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
11. विशेष पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था/अपराध, उ0प्र0, लखनऊ।
12. अपर पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिदेशक के जीएसओ, उ0प्र0।
13. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
14. समस्त पुलिस आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
15. पुलिस महानिरीक्षक, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0, लखनऊ।
16. ज्यूरिसडिक्शनल एडीजी, डीआरआई, उत्तर प्रदेश।
17. अपर निदेशक, आसूचना ब्यूरो(आईबी), उ0प्र0।
18. उपनारकोटिक्स आयुक्त, सीबीएन, उ0प्र0, लखनऊ।
19. डीआईजी, आरपीएफ, उ0प्र0, लखनऊ।
20. स्टेट ड्रग कंट्रोलर/फूड सेफ्टी एण्ड ड्रग एडमिनिशट्रेशन, उ0प्र0।
21. संयुक्त निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय(ईडी), उ0प्र0, लखनऊ।
22. ज्यूरिसडिक्शनल आईजी ऑफ बार्डर गार्डिंग एजेन्सी/एसएसबी, लखनऊ।
23. ज्यूरिसडिक्शनल डीडीजी, एनसीबी, उत्तर प्रदेश।
24. क्षेत्रीय निदेशक, एनसीबी, उ0प्र0, लखनऊ।
25. निदेशक विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उ0प्र0।